सितम्बर, 2007 माह के दौरान शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में मंत्रिपरिषद , विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के सचिवों आदि के बीच परिचालनार्थ महत्वपूर्ण मामलों का मासिक सार

***

सितम्बर, 2007 माह के दौरान शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों/किए गए आयोजनों का मासिक सार इस प्रकार है :-

1. महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामले

(i) साझा वित्त विकास निधि स्कीम (पीएफडीएफ)

उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों जिन्होंने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अपने राज्य में इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए अभी तक राज्य साझा वित्त संस्था नहीं बनाई है , को राज्य साझा वित्त संस्था शीघ्र गठित करने के बारे में दिनांक 24.9.2007 को एक अनुस्मारक भेजा गया था । उनको इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु शहरी अवस्थापना कोष (चेन्नई), कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास तथा वित्त निगम (बंगलौर) जिन्होंने इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है , से अथवा आवश्यकतानुसार किसी अन्य वित्तीय संस्था से परामर्शी सेवा लेने का भी अनुरोध किया गया है । जल एवं सफाई साझा कोष, तमिलनाडु से पहली किस्त के रुप में 45 करोड़ रुपए मूल्य के कर रहित साझा वित्त विकास बंध पत्र जारी करने के प्रथम प्रस्ताव की इस मंत्रालय में जांच की गई है तथा यह एक अच्छी पहल है ।

(ii) शहरी सुस्थिरता सम्मेलन

मेरे नेतृत्व में कुछ राज्यों और फिक्की के प्रतिनिधियों वाले एक भारतीय शिष्टमंडल ने शहरी सुस्थिरता सम्मेलन पर केन्द्रित सत्र जो बर्लिन जर्मनी में 12 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2007 तक चले एशिया प्रशांत पखवाड़े का हिस्सा है, में भाग लिया । वापिस आते समय 16 सितम्बर, 2007 से 17 सितम्बर, 2007 तक लंदन ब्रिटेन में थेम्स वाटर यूटीलिटीज लिमिटेड जो बिट्रेन में निजी जल उपयोगिताओं के कार्यकलाप के मामले देखती है के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के लिए रुका । इस अद्धितीय अनुभव से सीख लेने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(iii) ऱाष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि(विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश 2007(2007 की सं0 7) को दिनांक 4.7.2007 को पूर्व प्रख्यापित अध्यादेश की दिनांक जगह दिनांक 15.9.2007 को प्रख्यापित किया गया । अध्यादेश में बलपूर्वक कार्यवाई से अस्थाई राहत देने के लिए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत विकास की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में दिनांक 31.12.2008 तक यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है ।

(i) स्लम निवासियों और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों द्वारा अतिक्रमण ।

(ii) फेरीवालों तथा हॉकर ।

(iii) अनुमत्य भवन सीमा से अधिक निर्माण वाले मौजूदा फार्म हाऊस और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित स्कूल, औषधालय, धार्मिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान ।

(iv) अनधिकृत कालोनियाँ, और

(v) ग्रामीण आबादी क्षेत्र और इसका विस्तार ।

(iv) **हावड़ा स्टेशन से साल्टलेक, सेक्टर-V तक 13.77 कि0मी0 (8 कि0मी0 भूमिगत तथा 5.7 कि0मी0 भूमोपरि) लंबे नई कोलकाता पूर्व-पश्चिम मैट्रो कॉरीडोर परियोजना की योजना आयोग की सैद्धांतिक सहमति 24.9.2007 को प्राप्त की जा चुकी है । परियोजना अंतिम रुप से अनुमोदित होने पर जेबीआईसी की सहायता से कार्यान्वित की जाएगी ।**

(v) **21 से 28 सितम्बर, 2007 के दौरान सुश्री शैरी ई लिटिल, उप प्रशासक, फैडरॉल ट्रांजिट एडमिनिस्ट्रेशन परिवहन विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका(यूएसए) के नेतृत्व में एक अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया । इस दौरे के दौरान भारत तथा अमेरिका के बीच सार्वजनिक परिवहन विज्ञान तथा तकनीकी सहयोग के संबंधी एक करार ज्ञापन पर 24.9.2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए ।**

(vi) **राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 के कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई पर सूचना मंगाने हेतु एक परामर्शी परिपत्र सभी राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों को जारी किया जा चुका है ।**

(vii) **इस विषय से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हुए शहरी परिवहन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के एक विभाग को नोडल विभाग के रुप में निर्दिष्ट करने की सलाह भी दी गयी है ।**

(viii) **तीव्र बस परिवहन प्रणाली(बीआरटीएस) की योजना और उसके कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद में 24 से 26 सितम्बर, 2007 तक तीव्र बस परिवहन प्रणाली पर एक तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी । इसके अतिरिक्त एक गैर सरकारी संगठन इंडिया यूएसपी द्वारा 27 सितम्बर, 2007 को मुंबई में शहरी परिवहन , व्यापक योजना तथा प्रौद्योगिकी पर एक दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी आयोजित की गई थी ।**

(ix) **जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत किए गए मुख्य कार्य:-**

(क) **केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति(सीएसएमसी) की बैठके 7.9.2007 और 21.9.2007 को आयोजित की गई थी ।**

(ख) **79107.24 लाख रु0 की लागत वाली 6(छ:) परियोजनाओं का अनुमोदन सीएसएमसी द्वारा दिनांक 7.9.2007 को किया गया ।**

(ग) **दिल्ली के लिए करार ज्ञापन 11.9.2007 को हस्ताक्षरित हुआ था जिससे कि इस प्रकार के करार हस्ताक्षरित मिशन शहरों की कुल संख्या 58 हो गई है ।**

(घ) **वित्त मंत्रालय द्वारा जेएनएनयूआरएम के तहत 20.9.2007 को 5552.20 लाख रुपए जारी किए गए । उक्त राशि में से 3774.60 लाख रुपए दूसरी किस्त के रुप में जारी किए गए थे ।**

(ड.) सामुदायिक भागीदारी कोष (सीपीएफ) टूलकिट सभी राज्य सरकारों /शहरी स्थानीय निकायों को परिचालित किया जा चुका है ।

(च) परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआरयू) और कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (पीएमयू) के टूलकिटों को सभी राज्य सरकारों/ शहरी स्थानीय निकायों को परिचालित किया जा चुका है ।

(छ) स्वतंत्र समीक्षा और मॉनीटरिंग एजेंसियों (आईआरएमए) की नियुक्ति साथ ही साथ परामर्शदाताओं की सुझावित सूची, जेएनएनयूआरएम के तहत स्वतंत्र समीक्षा और मॉनीटरिंग एजेंसी (आईआरएमए) की तरह भूमिका निभाने की टूलकिट सभी राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों को परिचालित किया जा चुका है ।

(ज) जेएनएनयूआरएम के तहत क्षमता भवन के भाग के रुप में एक तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी)-माड्यूल ।। तैयार किया जा चुका है । जेएनएनयूआरएम के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के तैयार किए गए क्षेत्र में संपन्नता बढ़ाना इसका उद्देश्य है ।

(झ) तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी-)-माड्यूल-।।। परियोजना क्रियान्वयन और प्रबंधन भी सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है ।

(ळ) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहर विकास योजनाओं (सीडीपी) के विषय में , करार ज्ञापन (एमओए) और केन्द्रीय स्वीकृति और मॉनीटरिंग समिति (सीएसएमसी) की बैठक की प्रगति रिपोर्ट अनुलग्नक-। में है ।

(x) नेताजी नगर के पुर्नविकास के लिए परियोजना के तहत की गई प्रगति (नई दिल्ली में सरकारी आवास स्कीम):

(क) भारतीय एअरपोर्ट प्राधिकरण/नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अपने टावरों को एनबीसीसी की सहायता से पुर्नस्थापित करने का निदेश दिया गया है उनसे योजना की तैयारी करने और टावरों के पुर्नस्थापना को सरल बनाने के आकलनों के बारे में पूछा जा चुका है । एनबीसीसी तब स्थानांतरण की प्रक्रिया संपादित करेगी ।

(ख) एनबीसीसी को सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाने और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश हुआ है ।

(ग) झुग्गी-वासियों की योग्यता सभी संबंधों से परामर्श और नवम्बर, 2006 के उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन और इस मंत्रालय द्वारा मामले पर लिए गए मत पर विचार करेंगे ।

(घ) एनबीसीसी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय/भारतीय एअरपोर्ट प्राधिकरण के टावरों के संबंध में नवीनतम बदलाव करते हुए एनडीएमसी को ड्राइंग प्रस्तुत करेगा ।

(ड.) ईएफसी का प्रारुप विशिष्ट अनुमोदन का प्रयत्न करते हुए परियोजना को जारी रखने के लिए समग्र कैबिनेट अनुमोदन को अंतिम रुप दिया जाना है ।

(च) एनबीसीसी को अनुमोदन की प्रत्याशा में टाइप-vii के बंग्लो के कार्य को प्रारंभ करने का निदेश दिया जा चुका है ।

(छ) यह निश्चय किया गया है कि परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि को समीक्षा किए गए आकलनों के स्वीकृत तिथि से माना जाएगा या एनडीएमसी के द्वारा ड्राइंग का अनुमोदन जो भी पहले हो ।

(ज) एनबीसीसी के इस संबंध में ब्यौरा देने के बाद रेलवे प्राधिकरण सड़क के विपथन के लिए अपने जमीन का भाग सौंपेगा ।

(xi) सितम्बर, 2007 में एकमुश्त प्रावधान के तहत शामिल सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के फायदे के लिए परियोजनाएं/स्कीमों में स्वीकृत /जारी निधि के ब्यौरे अनुलग्नक-।। में दिए गए हैं ।

(xii) सितम्बर, 2007 के अंत तक आवंटित/ प्रस्तावित/खाली सरकारी मकानों की संख्या और दिल्ली में संपदा निदेशालय के लंबित निष्कासन मामलों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-।।। में दिए हुए हैं ।

(एम.राजामणि)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक-I

सितम्बर, 2007 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)के तहत प्रगति

मद	जून, 2007 तक की स्थिति	अगस्त, 2007 तक की स्थिति	सितम्बर, 2007 के दौरान स्थिति	अद्यतन स्थिति
नगर विकास योजना (सीडीपी)				
i . प्राप्त	63	63	--	जेएनएनयूआरएम के तहत
ii . मूल्यांकित	59	63	--	सभी 63 शहरों के लिए मूल्यांकित सीडीपी
करार ज्ञापन(एमओए)				
i . हस्ताक्षरित	57	57	1	58
केन्द्रीय संस्वीकृत और निगरानी सिमित(सीएसएमसी) की बैठक				
i .आयोजित बैठकों की संख्या	34*	36*	2	38*
ii . अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	230	242	6	248
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एसीए (183 परियोजनाओं के लिए	1763.97 करोड़ रू0	2239.55 करोड़ रू0	55.52 करोड़ रू0	2295.07 करोड़ रू0

* दो विशेष सीएसएमसी बैठकों को मिलाकर, जो कि 04.06.07 और 13.06.07 को आयोजित की गई ।

अनुलग्नक-।।

सितम्बर, 2007 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का विवरण

***

(लाख रू0 में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जारी राशि
1	तवांग उपनगर, अरुणाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क उन्नयन का विकास (निष्पादन एजेन्सी-राज्य सरकार)	50.66*
2	हवाई उपनगर, अरुणाचल प्रदेश में शहरी सड़कें (निष्पादन एजेन्सी-राज्य सरकार)	509.70*
3	पासीघाट उपनगर, अरुणाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क का विकास (निष्पादन एजेन्सी-राज्य सरकार)	301.17*

* **दूसरी किश्त /अंतिम किस्त**

अनुलग्नक-III

सितम्बर, 2007 के अंत तक दिल्ली में संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित / पेशकश किए गए / खाली कराए गए सरकारी मकानों /क्वार्टरों की संख्या और लंबित बेदखली मामलों की संख्या

****

टाईप	आवंटित/ पेशकश किए गए मकानों की संख्या	स्वीकार किए गए मकानों की संख्या	मकानों की संख्या जिन्हें नामंजूर करने के कारण आगे ले जाया गया	रद्द किए गए क्वार्टरों की संख्या जिनमें इस माह के दौरान बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है	ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या जिनके संबंध में बेदखली कार्रवाई चल रही है
टाईप-I	339	98	35*	12	71
टाईप-II	482	145	337	68	172
टाईप-III	387	66	321	39	79
टाईप- iv	116	47	69	5	18
टाईप- iv (स्पेशल)	26	5	21	4	9
टाईप- V क (डी-II)	27	9	18	3	27
डी-I	39	23	16	-	2
सी-II	234	8	26	-	1
सी-I व उससे ऊपर	8	3	5	-	10
हॉस्टल	29	8	21	-	2

* 206 क्वार्टरों के लिए अभी भी आवंटियों से स्वीकृति/अस्वीकृति प्रतीक्षित है ।